



## जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक – 20.06.2024

**थाना नजीबाबाद पुलिस ने लूट/चोरी की दो घटनाओं को अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को चोरी / लूटे गये 46,700 /- रुपये, एक इलैक्ट्रॉनिक ETIM मशीन, नेम प्लेट, बैग आदि व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.06.2024 को वादी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री राकेश सिंह ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि वादी सोहराब गेट डिपो की बस सं० UP78JN7534 पर संविदा परिचालक है। दिनांक 14.06.2024 को रात्रि करीब 12.45 बजे बाबत बाईक सवार दो अज्ञात बाइक सवार वादी को धक्का देकर हाथ से बैग जिसमें (सरकारी ETIM मशीन, मार्ग पत्र, समरी, मैनुअल टिकट व सरकारी धन के रूप में लगभग 41000 /- (इकतालिस हजार रुपये) छीन कर भाग गये। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु०अ०सं० 316/2024 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।



दिनांक 17.06.2024 को वादी श्री अक्षय कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम भोगली थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 29.05.2024 को वादी अपनी मोटरसाइकिल से कम्भौर से बिजनौर की तरफ आ रहा था कि सड़क किनारे मोटरसाइकिल रोककर मोबाइल पर बात करने के लगा तो पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार होकर आये अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर रखा बैग चोरी कर भाग गये। बैग में करीब 1,52,000 /- रुपये थे। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु०अ०सं० 530/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोगों में अभियुक्तगण 1-मौ० सुहैल पुत्र मौ० असलम 2-मौ० अफजल पुत्र मौ० नाजिम निवासीगण ग्राम कल्हैडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

### कार्यवाही –

जनपद में लूट/चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं लूट/चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1-मौ० सुहैल पुत्र मौ० असलम 2-मौ० अफजल पुत्र मौ० नाजिम निवासीगण ग्राम कल्हैडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से बस परिचालक से छीना हुआ एक बैग रंग काला, 31,700 /- रुपये नकद, एक इलैक्ट्रॉनिक ETIM मशीन, 01 नेम प्लेट

आदि व घटना में प्रयुक्त बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल तथा थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 530/24 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित 15,000 /- रुपये बरामद किये गये । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.मौ0 सुहैल पुत्र मौ0 असलम निवासी ग्राम कल्हैडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.मौ0 अफजल पुत्र मौ0 नाजिम निवासी ग्राम कल्हैडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

### बरामदगी –

चोरी / लूट के 46,700 /- रुपये

एक इलैक्ट्रॉनिक ETIM मशीन

एक नेम प्लेट

घटना में प्रयुक्त प्लेटिना मोटरसाइकिल

एक बैग (रंग काला) आदि

### अभियुक्त मौ0 सुहैल का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 71/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 382/19 धारा 323/324/452/504/506 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 199/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 544/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 5.मु0अ0सं0 316/2024 धारा 392/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 6.मु0अ0सं0 530/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर बिजनौर

### अभियुक्त अफजल का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 316/2024 धारा 392/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 530/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह पुण्डीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री भारत सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.उ0नि0 श्री सौरभ सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 4.हे0कां0 497 भारत मलिक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 5.हे0कां0 453 नेत्रपाल राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 6.हे0कां0 647 यशवीर राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 7.कां0 2043 रोहित चौधरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 8.कां0 1223 रजत राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 20.06.2024

**थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला शाहचन्दन से सम्बंधित प्रकरण के सम्बंध में अपडेट प्रेस नोट ।**

अवगत कराना है कि कस्बा व थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला शाहचन्दन में खाली पड़ी भूमि के सम्बंध में दिनांक 29.05.2024 को मा0 सिविल न्यायालय द्वारा वाल्मीकि समाज के लोगों के पक्ष में निर्णय दिया गया था । निर्णय के पश्चात मुकदमा हारने वाले द्वितीय पक्ष के लोगों द्वारा उक्त जमीन पर बिना किसी अनुमति के बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया था । पुलिस द्वारा द्वितीय पक्ष के लोगों को मा0 न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर 02 दिन में (18.06.2024 से 19.06.2024 तक) प्रतिमा को हटाने के लिये निर्देशित किया गया, किन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिमा को नहीं हटाया गया ।

आज दिनांक 20.06.2024 को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा उक्त भूमि से प्रतिमा को सम्मानपूर्वक हटवा दिया गया है । शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात है । सम्पूर्ण कार्यवाही मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गयी है।

बिजनौर पुलिस दोनो पक्षों से अपील करती है कि सभी मा0 न्यायालय के आदेश का अनुपालन करें एवं आपसी भाईचारा बनाये रखें तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई भी पोस्ट साझा न करे, जिससे किसी भी पक्ष की भावनायें आहत होती हो और न ही कोई ऐसी टिप्पणी करें जिससे समाज में अशांति फैलती हो । सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना / पोस्ट करने वालों के विरुद्ध बिजनौर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

2/2

न्यायालय सिविल जज अनियर द्वितीय, चांदपुर, बिजनौर

मूलवाद सं०- 98/2024

विचाल सैतानी आदि बनाम चन्द्र प्रकाश आदि

दिनांक- 29.05.2024

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6 ग मय शपथ पत्र 7 ग वास्ते अस्थाई निवेधाना पर एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। कार्यालय से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त वाद के संबंध में कोई कैविट लंबित नहीं है।

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 6 ग शपथ पत्र 7 ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अस्थाई निवेधाना बनाम प्रतिवादीगण व उनके एजेन्ट व सर्वेन्ट इस अमर की जारी फरमाई जाए कि दौरान वाद प्रतिवादीगण वाद पत्र के अंत में वर्णित संपत्ति पर कब्जा करने व निर्माण करने तथा वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे व निर्माण करने में व्यवधान पैदा करने से बाज रहे।

वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची फेहरिस्त सबूत कागज संख्या ग-10 से कागज सं० ग-11 से सत्यप्रतिलिपि नकल बैनामा इकरारी बनारसी दास बहक हरदेवा आदि दिनांकित 23.03.1963, हिन्दी की फोटो प्रति बैनामा दिनांकित 23.03.1963 एवं सत्यप्रतिलिपि नकल आदेश न्या० सि० जज जू०डि० 2 वाद संख्या 400/1996 ओमप्रकाश आदि बनाम नौबत आदि पत्रावली पर दाखिल की गई हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा वाद विवादित संपत्ति स्थित मौहल्ला <sup>शाहचन्दन</sup> सरायकी परगना व तहसील चांदपुर जिला बिजनौर संपत्ति वादीगण खसरा संख्या 2351 रकबई 4 विसे, खसरा संख्या 2352 रकबई 5 विसे, खसरा संख्या 2355 रकबई 13 विसे, खसरा संख्या 2356 रकबई 9 विसे, खसरा संख्या 2357 रकबई 2 विसे कुल रकबई 1 बिघा 13 विसे पुख्ता पूरब- रास्ता, पश्चिम- आबादी मुजफ्फर अली, उत्तर- रास्ता, दक्षिण- मुन्नी पीर जी आदि पर प्रतिवादीगण को बजरिए डिक्री स्थाई निवेधाना निवेधित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची फेहरिस्त सबूत कागज संख्या ग-10 से कागज सं० ग-11 से सत्यप्रतिलिपि नकल बैनामा इकरारी बनारसी दास बहक हरदेवा आदि दिनांकित 23.03.1963, हिन्दी की फोटो प्रति बैनामा दिनांकित 23.03.1963 एवं सत्यप्रतिलिपि नकल आदेश न्या० सि० जज जू०डि० 2 वाद संख्या 400/1996 ओमप्रकाश आदि बनाम नौबत आदि पत्रावली पर दाखिल की गई है। वाद पत्र के कथनानुसार प्रश्रगत संपत्ति स्थित मौहल्ला <sup>शाहचन्दन</sup> सरायकी परगना व तहसील चांदपुर जिला बिजनौर संपत्ति वादीगण खसरा संख्या 2351 रकबई 4 विसे, खसरा संख्या 2352 रकबई 5 विसे, खसरा संख्या 2355 रकबई 13 विसे, खसरा संख्या 2356 रकबई 9 विसे, खसरा संख्या 2357 रकबई 2 विसे कुल रकबई 1 बिघा 13 विसे पुख्ता के वादीगण के पूर्वज मालिक व काबिज थे और उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण उक्त भूमि पर मालिक व काबिज हुए। उक्त भूमि वादीगण की दादालाही है। वादपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र बैनामा दिनांक 23.03.1963 के अनुसार उपरोक्त संपत्ति वादीगण के पूर्वज हरदेवा, प्यारे, इछा व गगन सिंह ने उक्त बैनामा दिनांकित 23.03.1963 के माध्यम से खरीदी थी। संलग्न निर्णय की प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि मूलवाद संख्या 400/1996 ओमप्रकाश आदि बनाम नौबत आदि उपरोक्त संपत्ति के बाबत वादीगण के पिता द्वारा वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध योजित किया गया था। जिसके वाद



*BR*



बिन्दु संख्या 1 निर्णीत करते हुए वादीगण के पिता को संपत्ति का मालिक व काबिज माना गया। इस निर्णय के विरुद्ध की गई अपील को भी अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रतिवादीगण को अस्थाई व्यादेश द्वारा निर्बंधित किया जाता है कि प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अपने एजेन्ट व सर्वेन्ट के माध्यम से वाद पत्र के अन्त में वर्णित संपत्ति पर जबरन कब्जा करने, वादी को बेदखल करने तथा वादी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य करने में कोई व्यवधान उत्पन्न करने से बाज रहे। वादी का प्रार्थना पत्र 6 ग पर आपति व सुनवाई हेतु दिनांक 12.07.2024 नियत की जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी है। वादीगण आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी के अनुपालन में आवश्यक पैरवी अविलम्ब करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश विवादित संपत्ति की पैमाईश के संबंध में राजस्व न्यायालय की किसी भी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। उक्त आदेश प्रतिवादीगण के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। पत्रावली वास्ते आपति/निस्तारण प्रार्थना पत्र ग-6 दिनांक 12.07.2024 को पेश हो।

*Sharma*  
29/05/2024  
सिविल जज जू.डि. चांदपुर  
बिजनौर

प्रार्थना पत्र ग-8 बाबत मौके की अमीन आख्या मंगाये जाने पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रार्थना पत्र ग-8 अमीन अदालत को मौका मुआयना कर मौके की आख्या प्रस्तुत करने व न्यायालय द्वारा पारित आदेश, नोटिस व सम्मन की तामील प्रतिवादीगण पर करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अदालत अमीन को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सूचित करते हुए विवादित स्थल का निरीक्षण कर अपनी आख्या मय मानचित्र नियत तिथि तक न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वादीगण आवश्यक पैरवी अविलम्ब करें।

प्रतिवादीगण पर सम्मन नोटिस नियमानुसार जारी है। तदनुसार प्रार्थना पत्र ग-8 निस्तारित किया जाता है।



*Copy by: - Kanna*

*Sharma*  
29/05/2024  
सिविल जज जू.डि. चांदपुर  
बिजनौर

सत्य प्रतिलिपि

*Sharma*  
मुख्य प्रतिनिधिक  
सिविल जज (जू.डि.)  
चांदपुर  
31-5-2024

## माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.05.2024 की प्रति

न्यायालय सिविल जज जूनियर डिप्टीजन, चाँदपुर, बिजनौर

मूलवाद सं०- 98/2024

विशाल सैलानी आदि बनाम घनद प्रकाश आदि

दिनांक- 31.05.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। प्रार्थनापत्र ग-17 पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र ग-17

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र ग-17 मय शपथपत्र ग-18 इस आशय का दिया गया है कि प्रश्रुत आराजी जिसका विवरण वाद पत्र के अंत में दिया गया है, यादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा का वाद दायर किया गया है जिसमें मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2024 को प्रश्रुत आराजी के संबंध में प्रतिवादीगण को निषेधित किया गया है कि प्रतिवादीगण प्रश्रुत संपत्ति पर कब्जा करने व यादीगण के निर्माण करने में व्यवधान पैदा करने से बाज रहे। जिसकी जानकारी यादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को करायी गयी लेकिन प्रतिवादीगण उक्त आदेश को मानने से इंकार कर रहे हैं। ताकत व गुंडागर्दी के बल पर यादीगण कब्जा व निर्माण में व्यवधान पैदा कर रहे हैं इसलिये न्यायहित में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 का अनुपालन थाना प्रभारी चाँदपुर द्वारा कराया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण ने न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 का अनुपालन थाना प्रभारी चाँदपुर द्वारा कराये जाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग-17 मय शपथ पत्र समर्थित है। उक्त प्रकरण में न्यायालय के आदेश दिनांकित 29.05.2024 में प्रतिवादीगण को निर्देशित किया गया है कि प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अपने एजेंट व सट्टेदारों के माध्यम से वाद पत्र के अंत में वर्णित संपत्ति पर जबरन कब्जा करने, यादी को बेदखल करने या यादी द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न करने से निषेधित किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग-17 स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित सहाय्यक को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त होने पर आदेश दिनांकित 29.05.2024 का अनुपालन मौके पर पहुंचकर कराना सुनिश्चित करें।



*Banshra*  
31/05/2024

(बुशरा बुश्रादि)

सिविल जज (जू० डि०)

चाँदपुर, बिजनौर।

J.O.CODE-UP3362

Confessed by: Kamran

सत्य प्रतिलिपि

*U.O.*  
मुख्य प्रतिनिधिक  
सिविल जज (जू० डि०)  
चाँदपुर

31-05-2024



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 20.06.2024

**“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 01 वर्ष के कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।**

### कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 18.04.2022 को थाना स्योहारा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त शमशाद अहमद उर्फ माधो पुत्र भूरा उर्फ इलियास निवासी मौ० मिलिक्यान सराय थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 1500 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु०अ०सं० 184/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 20.06.2024 को मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-II, जनपद बिजनौर द्वारा मु०अ०सं० 184/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त शमशाद उर्फ माधो पुत्र भूरा उर्फ इलियास निवासी मौ० सराय मिलिक्यान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 01 वर्ष के कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

### दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- शमशाद उर्फ माधो पुत्र भूरा उर्फ इलियास निवासी मौ० सराय मिलिक्यान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 20.06.2024

**“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 01 वर्ष के कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।**

### कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 01.10.2023 को थाना किरतपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अंकित पुत्र हरवंशा निवासी ग्राम नंगला इस्लाम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 450 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 413/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम अंकित उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 20.06.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-II, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 413/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त अंकित पुत्र हरवंशा निवासी ग्राम नंगला इस्लाम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 01 वर्ष के कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

### दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- अंकित पुत्र हरवंशा निवासी ग्राम नंगला इस्लाम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नांगल

दिनांक – 20.06.2024

थाना नांगल पुलिस ने मु0अ0सं0 117/2024 धारा 307/504/506/34 भादवि मे वांछित 04 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त गाडी, एक अवैध तमंचा व 02 अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.06.2024 को वादी श्री मौ0 इमरान पुत्र यासीन निवासी मौ0 मुगलुशाह कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि वादी अपने मामा रिजवान निवासी ग्राम सराय आलम थाना नांगल जनपद बिजनौर के यहाँ आया हुआ था कि दिनांक 18.06.2024 को समय रात्रि करीब 08.30 बजे सराय आलम की नहर पुलिया के पास एक सफेद रंग की इंडिको कार



सं0 UK07AA3068 में सवार अभियुक्तगण 1.केशव पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम जालपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर 2.अजहर पुत्र अकबर निवासी ग्राम शहजादपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर 3.राशिद पुत्र महबूब निवासी ग्राम व थाना नांगल जनपद बिजनौर 4.भूरा पुत्र अब्दुल मतीन निवासी ग्राम सराय आलम थाना नांगल जनपद बिजनौर, जिन्हे वादी पहले से जानता है द्वारा गाडी के उतरकर वादी के साथ गाली – गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा तमंचे की बट से मुँह पर वार किया, जिससे वादी गम्भीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पडा एवं अभियुक्तगण वादी के ऊपर तमंचे से फायर कर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये । तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 117/2024 धारा 307/504/506/34 भादवि बनाम केशव आदि उपरोक्त कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.केशव पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम जालपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर 2.अजहर पुत्र अकबर निवासी ग्राम शहजादपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर 3.राशिद पुत्र महबूब निवासी ग्राम व थाना नांगल जनपद बिजनौर 4.भूरा पुत्र अब्दुल मतीन निवासी ग्राम सराय आलम थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस, 02 अवैध चाकू एवं टाटा इंडिगो गाडी रजि0 सं0 UK07AA3068 बरामद की गयी । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25(1-b)a व 4/25 शस्त्र अधिनियम की वृद्धि की गयी । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.केशव पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम जालपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 2.अजहर पुत्र अकबर निवासी ग्राम शहजादपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 3.राशिद पुत्र महबूब निवासी ग्राम व थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 4.भूरा पुत्र अब्दुल मतीन निवासी ग्राम सराय आलम थाना नांगल जनपद बिजनौर

### बरामदगी –

एक कार टाटा इंडिको UK07AA3068

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

02 अवैध चाकू

### अभियुक्त केशव का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 02/2016 धारा 323/504/506/307 भादवि थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 150/2016 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 981/2018 धारा 398/401/307 भादवि व धारा 3/25 व 4/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 984/2018 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 5.मु0अ0सं0 117/2024 धारा 307/504/506/34 भादवि व धारा 3/25(1-b)a व 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना नांगल जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.श्री अशोक कुमार थानाध्यक्ष नांगल जनपद बिजनौर
- 2.कां0 63 राकेश कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1074 राजीव कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 4.कां0 156 रोहित कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 5.कां0 2569 आकाश कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 20.06.2024

**थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त हरीश कुमार उर्फ भूरे पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी ग्राम बाखरपुर गढी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0- 545/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम हरीश कुमार उर्फ भूरे उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

हरीश कुमार उर्फ भूरे पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी ग्राम बाखरपुर गढी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

### बरामदगी विवरण:-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 रामकिशोर गौतम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 580 राहुल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
3. का0 1606 हरेन्द्र थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 20.06.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 531/2024 धारा 341/323/504/506/307/324 भादवि में  
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.06.2024 को वादी श्री कामिद पुत्र श्री इदरीस निवासी ग्राम बुरहानुद्दीनपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.महबूब पुत्र इमामुद्दीन 2.मरगूब पुत्र इमामुद्दीन 3.नदीम पुत्र महबूब 4.मन्सूर पुत्र इबने हसन समस्त निवासीगण ग्राम बुरहानुद्दीनपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के रिश्तेदार व परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से लाठी-डण्डों से वार कर उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 531/2024 धारा 341/323/504/506/307/324 भादवि बनाम महबूब आदि 04 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मन्सूर पुत्र इबने हसन समस्त निवासी ग्राम बुरहानुद्दीनपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मन्सूर पुत्र इबने हसन समस्त निवासी ग्राम बुरहानुद्दीनपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 रामकिशोर गौतम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 580 राहुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
3. का0 1812 आकाश कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।





प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 20.06.2024

**यातायात पुलिस द्वारा अनाधिकृत रूप से वाहनों पर लगी लाल/नीली बत्ती तथा हूटर/सायरन/स्टीकर उतारे गये ।**

अवगत कराना है कि दिनांक 19.06.2024 को यातायात पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे सघन चेकिंग अभियान के अन्तर्गत अनाधिकृत रूप से हूटर/सायरन, लाल/नीली बत्ती एवं अनाधिकृत रूप से उ0प्र0 सरकार/भारत सरकार/पुलिस स्टीकर लगाकर चल रहे वाहनों की चेकिंग की गयी ।

चेकिंग के दौरान 36 वाहनो से लाल/नीली बत्ती तथा अनाधिकृत रूप से उ0प्र0 सरकार/भारत सरकार/पुलिस स्टीकर लगाकर चल रहे 102 वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की गयी । इस दौरान शराब / मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन चलाने वालों की भी चैकिंग की गयी तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गयी ।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 20.06.2024

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 156/2024 धारा 147/323/307/352/504/34 भादवि में  
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.05.2024 को थाना नगीना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना नगीना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम महारतपुर कला उर्फ पुरैनी में रात्रि करीब 20.00 बजे दो पक्षों ने एक दूसरे के साथ जान से मारने की नियत से लाठी-डंडो से मारपीट की, जिसमें दोनो पक्षों के कई लोग घायल हो गये। इस सम्बंध में थाना नगीना पर प्रथम पक्ष के 1.श्रीराम पुत्र बिहारी 2.संदीप 3.मोनू 4.अभिषेक उर्फ कल्लन पुत्रगण श्रीराम 5.रेवती पुत्री श्रीराम 6.अन्नु पुत्र सन्दीप एवं द्वितीय पक्ष के 7.नरेन्द्र पुत्र रघुवा सिंह 8.सुबोध 9.रोहन पुत्रगण हिम्मत 10.दीपक 11.जितेन्द्र पुत्रगण राजेश 12.प्रिंस पुत्र सुनील समस्त निवासीगण ग्राम महावतपुर कला उर्फ पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर के विरुद्ध मु0अ0सं0 156/2024 धारा 147/323/307/352/504/34 भादवि पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा 09 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।



### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अभिषेक उर्फ कल्लन पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम महावतपुर कला उर्फ पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभिषेक उर्फ कल्लन पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम महावतपुर कला उर्फ पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री सरवेज खाँ थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2 हे0कां0 612 सचिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1591 प्रदीप कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर

दिनांक – 20.06.2024

**थाना हल्दौर पुलिस टीम ने तीन अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर कलेक्शन एजेंट से लूटे गये 1,02,400 /- रुपये, आधार/पैन कार्ड, कैश मैमो आदि व एक अवैध चाकू किया बरामद ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.06.2024 को वादी श्री सलीम खान पुत्र श्री शकील अहमद निवासी ग्राम काका टोला थाना बारादरी जनपद बरेली हाल निवासी सिविल लाईन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा थाना हल्दौर पर तहरीर दी गयी कि वादी की देशी शराब की दुकान कस्बा हल्दौर में है तथा वादी की दुकान पर जसवन्त पुत्र श्री राजाराम निवासी ग्राम हासेमऊ थाना सतरीक जनपद बाराबंकी पैसे कलेक्शन का काम करता है। दिनांक 02.06.2024 को जसवन्त कस्बा हल्दौर पोखर बाजार दुकान से बिजनौर ऑफिस की तरफ आ रहा था कि नवादा तुल्ला की पुलिया से आगे पीछे से मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों ने जसवन्त के साथ मारपीट कर हाथ से रुपये से भरा बैग लूटकर भाग गये। बैग में 1,65,000 /- रुपये थे। तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 150/24 धारा 394 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1.प्रद्युम्न पुत्र टीकम सिंह 2.अंकित सिंह पुत्र हेमराज सिंह 3.शेखर सिंह पुत्र दलवीर सिंह निवासीगण ग्राम अखेडा थाना नहतौर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।



दिनांक 08.06.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा लूट/चोरी की 05 घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्तगण 1.प्रद्युम्न 2.अंकित व 3.शेखर समस्त निवासीगण बालापुर अखेडा थाना नहतौर जनपद बिजनौर को चोरी/छीने गये 03 मोबाइल फोन, 12,000 रुपये की नगदी एवं घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी/लूट जैसी घटनायें कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.06.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 150/2024 धारा 394 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.प्रद्युम्न पुत्र टीकम सिंह 2.अंकित सिंह पुत्र हेमराज सिंह 3.शेखर सिंह पुत्र दलवीर सिंह निवासीगण ग्राम अखेडा थाना नहतौर जनपद बिजनौर को मा0 न्यायालय से 05 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लिया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर मुकदमा उपरोक्त की घटना में लूटे गये 1,02,400 /- रुपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड व घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 34/411 भादवि व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

## पूछताछ का विवरण –

पूछताछ पर अभियुक्तगण ने बताया कि यही वो शेष रूपये हैं जो हम तीनों ने मिलकर कलेक्शन एजेंट से लूटे थे, बाकी पैसे हम लोगों ने खर्च कर दिए थे व इसी चाकू से कलेक्शन एजेंट पर हमला कर घायल किया था।

## पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लिये गये अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. प्रद्युम्न पुत्र टीकम सिंह निवासी ग्राम अखेडा थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. अंकित सिंह पुत्र हेमराज सिंह निवासी ग्राम अखेडा थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. शेखर सिंह पुत्र दलवीर सिंह निवासी ग्राम अखेडा थाना नहतौर जनपद बिजनौर

## बरामदगी –

एक पिट्टू बैग

लूटी गयी धनराशि 1,02,400 रुपये /- (पांच सौ के 188 नोट व एक सौ के 84 नोट)

एक पैन कार्ड

एक आधार कार्ड

एक कैशमेमो

एक अवैध चाकू

## अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 285/24 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 234/2024 धारा 392 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 235/2024 धारा 379 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 222/24 धारा 379 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 223/24 धारा 379 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 150/24 धारा 394 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

## बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री रामप्रताप सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 श्री सुभाष राणा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
4. उ0नि0 श्री पवनेन्द्र कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
5. म0उ0नि0 सुश्री शिवानी चौहान थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
6. हे0कां0 445 विकास कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
7. हे0कां0 677 प्रदीप कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
8. कां0 1983 दुष्यन्त थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
9. कां0 1550 कुलदीप थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
10. कां0 386 सोहित कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
11. कां0 1776 प्रवीण शर्मा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
12. कां0 1994 मनोज कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर





जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना धामपुर

दिनांक 20.06.2024

थाना धामपुर पुलिस द्वारा डग्गामार वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही, तीन डग्गामार बसों को किया गया सीज।

### कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

जनपद बिजनौर में अवैध टैक्सी स्टैण्ड/अवैध रूप से संचालित बस/डग्गामार वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 19.06.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान तीन डग्गामार बस नं० UP15ET2457, UP15ET9262 UP20AT2186 को चेक किया गया तो मौके पर कोई कागजात व परमीट न होने के कारण उक्त तीनों बसों को अन्तर्गत धारा 207 एम०वी० एक्ट में विधिक कार्यवाही करते हुये सीज किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



### सीज वाहनों का विवरण-

1. बस नं०- UP15ET2457
2. बस नं०- UP15ET9262
3. बस नं०- UP20AT2186